न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति [illegible]

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- [illegible]

1 धर्मपाल पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 अमर सिंह पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। — — प्रार्थीगण

बनाम

1 रायसाहब पुत्र जेन्टलमैन जाति जाट निवासी [illegible] तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। — — अप्रार्थीगण

2 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगणः–

1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता — —प्रार्थी
2. श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता — —अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 13.05.2024

प्रार्थी धर्मपाल आदि ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम आराजी चक नम्बर 3 डी.पी.एम. जमांबदी सम्वत 2075 ता 78 खाता संख्या 54/5 में 2.7830 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 7/6 में 1.6450 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 6/4 में 0.6320 हैक्टर प्रार्थी संख्या 2 के नाम व इसी चक के खाता संख्या 114/100 में 3.2890 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदीया संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उक्त आराजी में आने जाने के लिये [illegible] कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] के खाता संख्या 114/100 के पत्थर नम्बर 182/244(56) किला नम्बर 2/1/0.2280, 3/1/[illegible] 4/1/0.2280, 5/1/0.2020 हैक्टर में चालू रास्ता [illegible] से हो कर अपनी कृषि [illegible] आता जाता है। यह रास्ता पूर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा में खाला के चिपता है, जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त किलों में रास्ता मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चालू है जिसका प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग कर रहे है प्रार्थीगण उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 114/100 के पत्थर नम्बर 182/244(56) किला नम्बर 2/1/0.2280, 3/1/0.2280, 4/1/0.2280, 5/1/0.2020 में पूर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा में खाला के चिपता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये नजदीकी रास्ता नही है प्रार्थीगण के अपने खेत में आने जाने के लिये कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता नही है जिससे उन्हे भारी परेशानी व मानसिक वेदना हो रही है इसलिये प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। प्रार्थीगण इन्ही किलों में से होकर अपने खेत में आते जाते है। यह रास्ता पिछले 10 वर्षो से चला आ रहा है व मौका पर चालू है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खेत में आने-जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहें है। अब अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गयी तो प्रार्थीगण अपने खेत में आने-जाने से वंचित रह जायेगे, जिससे उन्हे अपूर्णीय क्षति व घोर मानसिक वेदना होगी व ना हक मुकदमेबाजी बढेगी ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 114/100 के पत्थर नम्बर 182/244(56) किला नम्बर 2/1/0.2280, 3/1/0.2280, 4/1/0.2280, 5/1/0.2020 में पूर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा में खाला के चिपता 16.5 फूट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ... किया कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम आराजी चक नम्बर 3 डी.पी. ... 75 ता 78 खाता संख्या ... 1.0450 हैक्टर व इसी 54/5 में 2.7830 हैक्टर व इसी चक ... 2 के नाम व इसी चक के चक के खाता संख्या 6/4 में 0.6320 हैक्टर प्रार्थी सं... 2 के नाम व इसी चक के खाता संख्या 114/100 में 3.2890 हैक्टर भूमिं मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा इस मद में दर्ज तथ्य स्वीकार है प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आनें जानें के लिये कोई मन्जूर शुदा रास्ता स्वीकृत नही है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जानें व काश्त करनें में परेशानी होती है प्रार्थीगण अपने खेत में आने जानें के लिये मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 114/100 के पत्थर नम्बर 182/244(56) किला नम्बर 2/1/0.2280, 3/1/0.2280, 4/1/0.2280, 5/1/0.2020 में पूर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा में खाला के चिपता 16.5 फूट चौडा चालू रास्ता में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है उक्त रास्ता मौका पर चालू है उक्त चालू रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। तहसीलदार राजस्व, टिब्बी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 रायसाहब की कृषि भूमि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 114/100 के पत्थर नम्बर 182/244(56) किला नम्बर 2/1/0.2280, 3/1/0.2280, 4/1/0.2280, 5/1/0.2020 में पूर्व सें पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा में खाला के चिपता 16.5 फूट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करनें के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner